न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2021/38

1. गोपाल पुत्र नन्दा, जाति जाट, निवासी ग्राम मम्माणा, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. लाला पुत्र बोदू, जाति जाट,
2. रामदेव पुत्र बोदू, जाति जाट,
3. रामदीन पुत्र बोदू, जाति जाट,
4. हरकरण पुत्र बोदू, जाति जाट,
   निवासी ग्राम मम्माणा, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दूदू, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड, दूदू 12.2.2020 अंतर्गत वाद संख्या 35/2017.

उपस्थितः

1. श्री विरेन्द्रसिंह चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4.

निर्णय

दिनांकः— 30.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.2.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 व धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मम्माणा कीआराजी खाता संख्या 465 के खसरा नंबर 1165 रकबा 5.06 है0, खाता संख्या 408 के आराजी खसरा नंबर 837 रकबा 5.09 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 5.06 है0, खाता संख्या 104 के आराजी खसरा नंबर 1537 रकबा 4.88 है0 कुल किता 1 रकबा 4.88 है0 स्थित है । उपरोक्त आराजी खसरा नंबरान के साबिक खसरा नंबर 528/1419 हाल 837, 861/1469 हाल 1537 व688/2 हाल 1165 है । जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 में उक्त खसरा नंबरान मे वादीगण के भाई नंदा व रामकरण द्वारा हकत्याग करने पर वादीगण के नाम नामांतकरण संख्या 1822

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दिनांक 7.2.2005 को खुल कर राजस्व अभिलेखों में वादीगण के नाम दर्ज हो चुका था, परन्तु इसके नवीन जमाबंदी संवत् 2067–2070 में पटवार हल्का मंमाणा द्वारा उक्त हक त्याग पत्र के आधार पर हुए नामांतकरण संख्या 1822 दिनांक 7.2.2005 के इंद्राज को हजफ करते हुए उक्त आराजियात पुनः नंदा व रामकरण के नाम से दर्ज कर दी गई जो काबिले दुरूस्ती है । अतः वाद स्वीकार कर घोषणा दुरूस्ती इंद्राज इस आशय की फरमायी जावे कि वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजियात में दर्ज खातेदारान नंदा व रामकरण पुत्रान बोदू का नाम हजफ कर साबिक रिकार्ड अनुसार संपूर्ण आराजियात पुनः वादीगण के नाम से दर्ज की जावे । वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजियात में वादपत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित हिस्से अनुसार पक्षकारान के नाम से हिस्सा दुरूस्त कर दर्ज किये जाने की घोषणा प्रदान की जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.2.2020 को वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का वाद डिक्री किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पेश कर कर ग्राम खेड़ा नागरान पटवार हल्का ममाणा तहसील दूदू हाल मौजमाबाद का शुद्धी पत्र जो जमाबंदी के खाता संख्या 191 में संवत् 2063 की प्रमाणित प्रति एवं शुद्धीपत्र दिनांक 26.5.2015 एवं जमाबंदी संवत् 2067 से 2070, शुद्धी पत्र ग्राम खेड़ा नागरान जमाबंदी खाता संख्या 191 पुराना एवं 104 नया, जमाबंदी खाता संख्या 104 पुराना नया 113 संवत् 2071 से 2074, शुद्धी पत्र खाता संख्या 191 व नया खाता संख्या 408 के शुद्धीकरण स्वीकृति दिनांक 26.5.2015, खाता संख्या 408 पुराना व नया 472 की जमाबंदी संवत 2071 से 2074, कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी संवत् 2063 खाता संख्या 191 कम्प्यूटीकृत जमाबंदी संवत् 2076 खाता संख्या नया 758 पुराना 472, मिलान क्षेत्रफल संवत् 2006 से 2026 की प्रमाणित प्रतियां पेश कर कथन किया कि उक्त दस्तावेज पूर्व में उपलब्ध नहीं होने से वाद में पेश नहीं किये जा सके थे । उक्त दस्तावेजात अपील के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण व सही निर्णय पर पहुंचने में सहायक दस्तावेज है जिनको रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि शुद्धीपत्र प्रस्तुत कर पूर्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2063 में दर्ज हिस्से अनुसार शुद्धी दस्तावेज प्रस्तुत किया है जबकि उक्त शुद्धी पत्र की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि नंदा पुत्र बोदू द्वारा पूर्व में ही अपना हक व हिस्सा रिलीज कर दिया गया था जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में इंद्राज परिवर्तित कर दिये गये थे । प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये गये कुछ दस्तावेजात पूर्व से ही रिकार्ड पर तथा जो अन्य दस्तावेज पेश किये गये है उनकी कोई आवश्यकता नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 निरस्त किया जावे ।

6. अपीलांटस द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात विवादित आराजियात से संबंधित होकर प्रमाणित प्रतियां है जो जिनकी विश्वसनियता पर संदेह नहीं किया जा सकता है । उपरोक्त दस्तावेज अपील के न्याय, निर्णय में सहायक दस्तावेज है । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार कर उपरोक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

7. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थी के दादा एवं अप्रार्थीगण के पिता की आराजी है जिसमें प्रार्थी अभिलिखित खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र राज्य सरकार के विरूद्ध धारा 88 राज0काश्त0अधि0 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर एकपक्षीय रूप से अपने पक्ष में पुश्तैनी आराजी की डिक्री प्राप्त कर ली गई है । विवादित आराजी पुश्तैनी होने से अपीलाधीन निर्णय से प्रार्थी व उसके परिवार के हक समाप्त हो गये है । उक्त निर्णय दिनांक 12.2.2020 से प्रार्थी के हक अधिकार व स्वत्व पर विपरीत प्रभाव पड़ा है । वादीगण ने जानबूझकर प्रार्थी को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी वाद में पक्षकार कायम नहीं कर प्रार्थी की पीठ पीछे निर्णय पारित करवाया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. विद्वान वकील अपीलांट ने प्रकरण के गुणावगुण पर बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपीलांट वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार अन्य खातेदारान के साथ दर्ज है परन्तु प्रत्यर्थीगण द्वारा केवल राज्य सरकार को पक्षकार बनाते हुए वाद पेश कर अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है जो निरस्त योग्य है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रत्यर्थीगण द्वारा अभिलिखित सहखातेदारों को सो–मोटो प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने के आदेश दे कर उनको पक्षकार बनाया जाने के बाद ही प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये जाने के बाद ही प्रकरण को निर्णित करना चाहिये था, इसके अभाव में अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने केवल वादी की मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद का निर्णय किया है अर्थात् वादी द्वारा किसी भी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अपने वाद को सिद्ध नहीं किया गया है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादी का वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 के समक्ष वादी ने जिस दस्तावेज के आधार पर वाद पेश किया है उसे प्रदर्शित नहीं करवाया गया, ना ही साक्ष्य की कसोटी पर कथित दस्तावेज को साबित किया गया है केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही प्रकरण का निर्णय किया गया है । राजस्व रिकार्ड की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पटवारी की रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड के विपरीत नहीं पढ़ी जा सकती है । मूल खातेदार बोदू के 6 पुत्र थे इस कारण प्रत्येक पुत्र का विवादित आराजियात में 1/6 हिस्सा बनता है । अपीलांट के पिता व काका रामकरण द्वारा जो हक त्याग करना वादी द्वारा बताया गया है वह राजस्थान काश्तकारी अधि0 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिमान्य नहीं है । अधी0न्याया0 ने इन समस्त तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

9. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात प्रार्थी के दादा एवं प्रतिवादीगण के पिता की आराजी है जिसमें प्रार्थी अभिलिखित खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र राज्य सरकार के विरूद्ध धारा 8 राज0काश्त0अधि0 के तहत वाद पेश कर एकपक्षीय रूप से अपने पक्ष में पुश्तैनी आराजी की डिक्री प्राप्त की है । इस कारण अपीलांट को निर्णय व डिक्री दिनांक 12.2.2020 को निर्णय

की जानकारी नहीं हो सकी थी । अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 10.7.2020 को होने पर उसके अधिवक्ता से संपर्क कर निर्णय व डिक्री की प्रमाणि प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है। अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

10. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 से 4 विवादित आराजियात के एकमात्र खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है । वादग्रस्त आराजियात के साबिक खसरा नंबर 528/1419 के हाल खसरा नंबर 837, 861/1469 के हाल खसरा नंबर 1537 व 668/2 के हाल खसरा नंबर 1165 है । जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 में उक्त साबिक खसरा नंबर 528/1419, 861/1469, 668/2 में वादीगण के भाई नंदा व रामकरण द्वारा हकत्याग करने पर वादीगण के नाम नामांतकरण संख्या 1822 दिनांक 7.2.2005 को तस्दीक किया जाकर राजस्व अभिलेखों में वादीगण/रेस्पो0 के नाम से दर्ज हो चुका था परन्तु इसके पश्चात् की नवीन जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 बनाते समय पटवारी हल्का द्वारा उक्त हकत्याग पत्र के आधार पर हुए अमल नामांतकरण संख्या 1822 दिनांक 7.2.2005 के इंद्राज को हजफ करते हुए उक्त आराजियात पुनः नंदा व रामकरण के नामदर्ज कर दी जो गलत एवं काबिले दुरूस्ती है । खाता संख्या 409 खसरा नंबर 693 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 1202 रकबा 1.31 है0 हाल रिकार्ड में हिस्सा गलत रूप से रामदेव, हरकरण, हरदीन हिस्सा 5/6 व लाला पि0 बोदू हिस्सा 1/6 दर्ज कर दिया गया जबकि इसमें वादीगण का हिस्सा बराबर–बराबर 1/4, 1/4 हिस्सा अनुसार हिस्सा दर्ज होना चाहिये था । खसरा नंबर 837 जिसमें वादीगण का 11/12 व 1/12 के बजाय बराबर–बराबर 1/4, 1/4 हिस्से अनुसार दर्ज होना चाहिये । उक्त आराजियात में रहन का नामांतकरण संख्या 625 दिनांक 14.11.2014 को तस्दीक हुआ है जिसमें भी हरदीन पुत्र बोदू हिस्सा 1/4 दर्ज हो रखा है। उक्त आराजियात में वादीगण का बराबर–बराबर 1/4, 1/4 हक व हिस्सा है । बहस में आगे कथन किया कि खाता संख्या 465 के खसरा नंबर 1165 में हिस्सा बट्टा दर्ज नहीं है जो साबिक व वर्तमान जमाबंदी मुताबिक बराबर–बराबर हिस्से के अनुसार दर्ज होना चाहिये था। वादीगण उपरोक्त आरायिजात पर बरवक्त हकत्याग के बाद से ही मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

11. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

12. विद्वान वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र 96 जा0दी0 में कथन किया कि विवादित आराजियात विवादित आराजी प्रार्थी के दादा एवं अप्रार्थीगण के पिता की आराजी है जिसमें प्रार्थी अभिलिखित खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र राज्य सरकार के विरूद्ध धारा 88 राज0काश्त0अधि0 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर एकपक्षीय रूप से अपने पक्ष में पुश्तैनी आराजी की डिक्री प्राप्त कर ली गई है । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित हुए है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण लाला, रामदेव, हरदीन व हरकरण पुत्रान बोदू ने वाद बाबत् घोषणा व दुरूस्ती इंद्राज पेश कर कथन किया था कि आराजी खाता संख्या 465 के आराजी खसरा नंबर

1165 रकबा 5.06 है0, खाता संख्या 408 के आराजी खसरा नंबर 837 रकबा 5.06 है0 खाता संख्या 104 के खसरा नंबर 1537 रकबा 4.88 हे0 के वादीगण एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है। उपरोक्त खसरा नंबर के साबिक खसरा नंबर 528/1419 के हाल खसरा नंबर 837, 861/1469 के हाल खसरा नंबर 1537 व 668/2 के हाल खसरा नंबर 1165 है । जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 में उक्त साबिक खसरा नंबर 528/1419, 861/1469, 668/2 में वादीगण के भाई नन्दा व रामकरण द्वारा हकत्याग करने पर वादीगण के नाम नामांतकरण संख्या 1822 दिनांक 7.2.2005 को खुलकर राजस्व अभिलेखों में वादीगण के नाम से दर्ज हो चुका था, परन्तु इसके पश्चात् नवीन जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 बनायी गयी, जिसमें पटवारी हल्का ममांणा द्वारा उक्त हकत्याग पत्र के आधार पर हुए अमल नामांतकरण संख्या 1822 दिनांक 7.2.2005 के इंद्राज को हजफ करते हुए उक्त आराजियात पुनः नंदा व रामकरण के नाम दर्ज कर दी गई जो कि गलत है एवं काबिल दुरूस्ती है । अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद पटवारी हल्का ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.2.2020 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद स्वीकार किया है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/रेस्पो0 द्वारा जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 को चुनौती दी गई थी किन्तु उक्त जमाबंदी में दर्ज खातेदारान नंदा को वादीगण ने वाद में पक्षकार नहीं बनाया है । अपीलांट के पिता नंदा का नाम विवादित आराजियात बाबत् जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 में अंकित होने से आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार थे जिन्हें जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था किन्तु वादी ने उपरोक्त जमाबंदी में दर्ज खातेदारान नंदा को वाद में पक्षकार कायम किये बिना एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित करवाई है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित होना प्रतीत होता है । अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट को अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.2.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

13. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किये जाने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.2.2020 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को वाद में पक्षकार नियुक्त कर अपीलांट को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 30.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर